बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 14.10.14

संख्या– 1070(2) /अधिसूचना संख्या– 1069(2) दिनांक– 14.10.14 का निम्नलिखित अँग्रजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा, प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत, अँग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihr
HEALTH DEPART
Notification

Patna, Dated-

No. / In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to regulate appointments and service conditions in the Dentist Service-

Chapter 1 : PRELIMINARY

1. **Short title, extent & commencement.–** (1) These Rules may be called as the "Bihar Dentist Service Rule, 2014.

(2) It will extend to the whole state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions. – In these rules, unless the subject or context otherwise requires :-

(a) 'Government' means Bihar State Government;

(b) 'Department' means Health Department;

(c) 'Commission' means Bihar Public Service Commission;

(d) 'Service' means Bihar Dentist Service;

(e) 'B.D.S. Degree' means B.D.S. Degree recognized by the Indian Dental Council;

(f) 'Post-graduate Degree' means Post-graduate degree namely M.D.S.or equivalent degree , recognized by the Indian Dental Council;

(g) 'Higher Degree' means higher degree recognized by the Indian Dental Council;

(h) 'Appendix' means appendix appended to these Rules; and

(i) 'Government hospital' means hospitals under the control of the central government and the Bihar state Government.

3. Constitutions of service. -(1) The Bihar Dentist Service shall be at state level. In this service, number of posts in each grade and total number of post in the service shall be as many as are sanctioned by the government, from time to time .

(2) There shall be following two sub-cadres in the Bihar Dentist Service :-

(a) Bihar Dentist Service General Duty Sub- cadre; and

(b) Bihar Dentist Service Specialists Sub-cadre.

4. Chain of posts of Service. - (1) Different grades and chain of posts shall be according to Appendix-1.

(2) The members of this service may be posted and transferred any where under the Government.

Chapter 2 : RECRUITMENT

5. Recruitment. – (1) The appointment in this service shall be made by direct recruitment to the basic grade (Dentist) posts on the basis of recommendations of the Commission

(2) For appointment in General Duty Sub-cadre, minimum educational qualification shall be B.D.S. degree from a recognized University. but Post- graduate or higher degree holders and work experience of Dentists engaged on contract basis in a government hospital of the state may be given weightage.

(3) For appointment in Specialists Sub-cadre, minimum educational qualification shall be M.D.S. degree from a recognized University. But higher degree holders and work experience of specialist Dentists engaged on contract basis in a government hospital of the state may be given weightage.

(4) For direct recruitment minimum age limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined reservation categorywise by the government, from time to time. 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.

6. In case of unavailability of Dentist fit for appointment/promotion, the Dentist may be employed from outer sources on contract basis for a limited period by the Government, as is necessary and in public interest, on the posts mentioned in Appendix-1, for which employment procedure shall be determined by the Government.

7. Procedure of Recruitment. – (1) the Department after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting

roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Commission latest by 30th April.

(2) In light of requisition received for appointment the Commission shall invite applications by advertising vacancies and shall prepare merit list on following basis :-

(A) General duty sub-cadre : -

(i)	For mark obtained in B.D.S.	– 50 marks
(ii)	For Postgraduate or higher degrees	–10 marks
(iii)	For experience in Government Hospitals – (5 marks per year, maximum 25 marks)	– 25 marks
(iv)	For interview	– 15 marks
	Total	– 100 marks

Note :- (a) The marks to be given to a candidate for marks obtained in B.D.S. shall be determined by multiplying percentage of total marks obtained in the aforesaid courses examination by multiple of 0.5. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given 50% × 0.5= 25 marks.

(b) 1 (one) mark shall be deducted for each failure as any of the University B.D.S. Examinations.

(c) Minimum qualifying marks shall be 30.

(B) Specialist sub-cadre:-

(i)	For marks obtained in B.D.S.	– 50 marks
(ii)	For Postgraduate or higher degree	-10 marks

(iii) For experience in Government Hospitals.–

(5 marks per year, maximum 25 marks) – 25 marks

(iv) For interview - 15 marks

Total -	100 marks

Note :- (a) The marks to be given to a candidate for marks obtained in B.D.S. shall be determined by multiplying percentage of total marks obtained in the aforesaid courses examination by multiple of 0.5. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given 50%× 0.5= 25 marks.

(b) 1 (one) mark shall be deducted for each failure as any of the University B.D.S. Examinations.

(c) Minimum qualifying marks shall be 30.

(3) The Commission shall send merit list prepared on the basis of aforesaid sub-rule (2) and reservation/ categorywise recommendation, in accordance with requisitioned vacancy, to the Department, on which basis appointments may be considered after approval of the Government. Validity of recommendations of the commission should be restricted to 1 year from its receipt.

(4) Procedure for interview shall be determined by the Commission.

Chapter 3 : PROBATION/ DEPARTMENTAL/ EXAMINATION/CONFIRMATION

8. Probation Period.- After appointment, probation period will be of two years. The Probation Period may be extend for one year provided the appointing authority is satisfied that there is a chance for improvement

for the probationer. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the service of such Dentist may be terminated. It shall be necessary to get treasury training during the probation period.

9. Departmental Examination. - On completion of probation period, the Dentist shall have to pass Departmental Examination. The syllabus for Departmental Examination will be determined in consultation with the Central Examination Committee.

10. Confirmation. – On service being satisfactory during probation period, completion of treasury training and passing of departmental examination the Dentist may be confirmed in the service.

11. Seniority. – The inter-se seniority of Dentist shall be determined on the basis of the merit list finalized by the Commission.

Chapter 4 : PROMOTION

12. Promotion. – (1) Subject to availability of vacancy and according to merit-cum-seniority, a confirmed Dentist shall be considered to be promoted on higher posts mentioned in Appendix-1.

(2) For consideration of promotion , compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to 'KALAWADHI', shall be necessary.

(3) Compliance of instructions issued by the government from time to time with respect to promotion and character roll/P.A.R, allegation / departmental proceeding/ criminal proceeding etc. shall be necessary at the time of consideration of promotion.

13. Departmental Promotion Committee.- Promotion will be considered on the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee. The constitution of the Departmental Promotion Committee shall be in accordance with the structure of the Departmental Promotion Committee determined for service departments by the Government, from time to time:

Provided that the Departmental Promotion Committee for consideration of promotion in the maximum grade-pay of the service shall be presided over by the Chairman or Member of the Commission.

Chapter 5 : DYNAMIC A.C.P

14. Dynamic ACP. – (1) First Assured Career Progression will be admissible to Dentists of Bihar Dentist Service along with up-gradation of post, on completion of six years of service. Second and third assured career progression, along with up-gradation of post will be admissible after equal interval of six years each following the first assured career progression.

(2) The facility of dynamic ACP shall be admissible up to maximum pay scale of PB-4 grade pay 8700/- (Eight thousand seven hundred rupees.

(3) The benefit of dynamic ACP also will be considered on the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee.

(4) For consideration of benefit of dynamic ACP, same conditions precedent will apply as are applicable in regular promotion, but compliance of reservation rule will not be necessary in this.

Chapter 6 : MISCELLANEOUS

15. Reservation.- Compliance of provisions of Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion issued by the Government, from time to time, shall be necessary.

16. For the subjects which have not been provided in these Rules provisions of relevant codes/Rules/Regulations/ Instructions of the government shall apply.

17 The personnel appointed/promoted and working on the posts of this service, mentioned in Appendix-1, from before coming into effect of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this service.

18. **Interpretation.**- If any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules it shall be referred to the Department and in this respect decision of the Department shall be final.

19. **Removal of difficulties.**- If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the Department shall have powers to remove such difficulty.

20. **Repeal & Savings**.- (1) The Rules and all resolutions, orders, instructions, etc issued earlier from time to time, by the Department, with respect to this service, shall be deemed to be repealed with effect from the date of coming into force of these Rules.

(2) Notwithstanding such repeal, any work done or any action taken in exercise of powers conferred by aforesaid Rules, resolutions, orders, instructions, etc shall be deemed to be any work done or any action taken under these Rules, assuming, that these Rules were in force on the date on which such a work was done or such an action was taken.

By Order of the Governor of Bihar,

(Suresh Kumar Sharma)
Joint Secretary to Government.

APPENDIX-1

{See rule 2(h), 4,12,17}

Chain of posts of Bihar Dentist Service.

Sl. No.	Grade	Name of Post	Remarks
1.	Basic Grade	Dentist	
2.	First Promotion	Junior Staff Surgeon (Dental)	
3.	Second Promotion	Staff Surgeon (Dental)	
4.	Third Promotion	Senior Staff Surgeon (Dental)	
5.	Fourth Promotion	Joint Director (Dental Services)	

Note :- The pay band and grade pay of all the aforesaid grades shall be such as determined by the Government, from time to time.

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 15.10.14

अधिसूचना संख्या– 1069(2) /भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, दंत चिकित्सक सेवा में नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तों का विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

अध्याय– 1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।– (1) यह नियमावली **"बिहार दंत चिकित्सक सेवा नियमावली, 2014"** कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरन्त के प्रभाव से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ ।– जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–
   (क) **"सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
   (ख) **"विभाग"** से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;
   (ग) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
   (घ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है बिहार दंत चिकित्सक सेवा;
   (ङ) **"बी०डी० एस० डिग्री"** से अभिप्रेत है भारतीय दंत परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त बी०डी०एस० डिग्री;
   (च) **"स्नातकोत्तर डिग्री"** से अभिप्रेत है भारतीय दंत परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री, यथा एम०डी०एस० या समकक्ष डिग्री;
   (छ) **"उच्चतर डिग्री"** से अभिप्रेत है भारतीय दंत परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त उच्चतर डिग्री;
   (ज) **"परिशिष्ट"** से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट ; तथा
   (झ) **"सरकारी अस्पताल"** से अभिप्रेत है सरकार के नियंत्रण के अधीन के अस्पताल।

3. सेवा का गठन ।– (1) बिहार दंत चिकित्सक सेवा राज्य स्तरीय होगी। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा सेवा के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जायेगी।

   (2) बिहार दंत स्वास्थ्य सेवा के निम्नलिखित दो उप–संवर्ग होंगे :–

   (क) बिहार दंत चिकित्सक सेवा सामान्य कर्त्तव्य उपसंवर्ग; तथा

   (ख) बिहार दंत चिकित्सक सेवा विशेषज्ञ उपसंवर्ग।

4. सेवा का पद सोपान ।–(1) इस सेवा की विभिन्न कोटियाँ एवं पद सोपान परिशिष्ट–1 के अनुसार होंगे।

(2) इस सेवा के सदस्य सरकार के अधीन कहीं भी पदस्थापित एवं स्थानांतरित किये जा सकेंगे।

अध्याय–2: भर्ती

5. **भर्ती ।–** (1)इस सेवा में नियुक्ति मूल कोटि (दंत चिकित्सक) के पद पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

(2) सामान्य कर्त्तव्य उपसंवर्ग में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०डी०एस० की डिग्री होगी। परन्तु स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री धारकों एवं राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में अनुबंध के आधार पर नियुक्त दंत चिकित्सकों के कार्यानुभव को अधिमानता दी जा सकेगी।

(3) विशेषज्ञ उपसंवर्ग में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम०डी०एस० की डिग्री होगी। परन्तु उच्चतर डिग्री धारकों एवं राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में अनुबंध के आधार पर नियुक्त विशेषज्ञ दंत चिकित्सकों के कार्यानुभव को अधिमानता दी जा सकेगी।

(4) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयुसीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार निर्धारित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

6. नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु योग्य दंत चिकित्सकों के अभाव में आवश्यकतानुसार एवं लोकहित में सरकार द्वारा संविदा के आधार पर, परिशिष्ट–1 के पदों पर सीमित अवधि के लिए, बाह्य स्त्रोतों से दंत चिकित्सकों को नियोजित किया जा सकेगा, जिसके लिए नियोजन की प्रक्रिया का निर्धारण सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

7. **भर्ती की प्रक्रिया। –**(1)विभाग वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर, रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित आधार पर मेघा सूची तैयार करेगा:–

(क) सामान्य कर्त्तव्य उपसंवर्ग:–

(i)	बी०डी०एस० में प्राप्तांक के लिए	–	50 अंक
(ii)	स्नातकोत्तर एवं उच्चतर डिग्री के लिए	–	10 अंक
(iii)	सरकारी अस्पतालों में कार्यानुभव के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	–	25 अंक
(iv)	साक्षात्कार के लिए	–	15 अंक
	कुल अंक		100 अंक

टिप्पणी:– (क) बी०डी०एस० में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50%×0.5= 25 अंक दिये जायेंगे।

(ख) विश्वविद्यालय बी०डी०एस० परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1 (एक) अंक घटाया जायेगा।

(ग) न्यूनतम अर्हतांक (क्वालीफाइंग मार्क्स) 30 होगा।

(ख) विशेषज्ञ उपसंवर्ग :–

(i)	बी०डी०एस० में प्राप्तांक के लिए	–	50 अंक
(ii)	स्नातकोत्तर एवं उच्चतर डिग्री के लिए	–	10 अंक
(iii)	सरकारी अस्पतालों में कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	–	25 अंक
(iv)	साक्षात्कार के लिए	–	15 अंक
	कुल अंक		**100 अंक**

टिप्पणी:– (क) बी०डी०एस० में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50%×0.5= 25 अंक दिये जायेंगे।

(ख) विश्वविद्यालय बी०डी०एस० परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1 (एक) अंक घटाया जायेगा।

(ग) न्यूनतम अर्हतांक (क्वालीफाइंग मार्क्स) 30 होगा।

(3) आयोग, उपर्युक्त उपनियम (2) के आधार पर तैयार मेधासूची और अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा, जिसके आधार पर सरकार के अनुमोदनोपरांत, नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा। आयोग की उपरोक्त अनुशंसा, प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी ।

(4) साक्षात्कार के लिए प्रक्रिया का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–3: परिवीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

8. **परिवीक्षा अवधि।** – नियुक्ति के उपरान्त परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकता है वशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकार इस बात से संतुष्ट हो की परिवीक्षक (Probationer) में सुधार की आवश्यकता है । यदि विरत्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो सरकार ऐसे दंत चिकित्सक को सेवामुक्त कर सकेगी। परिवीक्षा अवधि में कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9. **विभागीय परीक्षा।** – परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर दंत चिकित्सकों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम केन्द्रीय परीक्षा समिति के परामर्श से निर्धारित किया जा सकेगा।

10. **सम्पुष्टि। –** परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होने, कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर दंत चिकित्सकों की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

11. **वरीयता। –** दंत चिकित्सकों की आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा अंतिम रूप से तैयार मेधा–सूची के आधार पर होगी।

अध्याय –4 : प्रोन्नति

12. **प्रोन्नति। – (1)**सेवा में संपुष्ट दंत चिकित्सकों को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए और योग्यता–सह–वरीयता के अनुसार परिशिष्ट–1 में उल्लिखित उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति पर विचारार्थ सरकार द्वारा समय–समय निर्गत कालावधि संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) प्रोन्नति संबंधी और चारित्री पी०ए०आर०, आरोप/ विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों का प्रोन्नति पर विचार करते समय, अनुपालन करना आवश्यक होगा।

13. **विभागीय प्रोन्नति समिति। –** प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप सरकार द्वारा समय–समय पर सेवा विभागों के लिए निर्धारित विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुसार होगा;

परन्तु यह कि सेवा के अधिकतम ग्रेड–पे के पद पर प्रोन्नति हेतु विचार के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की जायेगी।

अध्याय – 5 : डायनेमिक ए०सी०पी०

14. **डायनेमिक ए०सी०पी० ।:–** (1)बिहार दंत चिकित्सक सेवा के दंत चिकित्सकों को छः वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त पद उत्क्रमण के साथ, प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अनुमान्य होगा। द्वितीय एवं तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन पद उत्क्रमण के साथ प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के छः–छः वर्षों के समान अन्तराल के पश्चात् अनुमान्य होगा।

(2) डायनेमिक ए०सी०पी० की सुविधा अधिकतम पी०बी०–4, ग्रेड पे 8700/– (आठ हजार सात सौ रू०) के वेतनमान तक अनुमान्य होगी।

(3) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर ही डायनेमिक ए०सी०पी० का लाभ भी विचारणीय होगा।

(4) डायनेमिक ए०सी०पी० के लाभ पर विचार के लिए वही पूर्वशर्तें रहेंगी, जो नियमित प्रोन्नति के लिए हैं, परन्तु इसमें आरक्षण के अनुपालन की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्याय –6 : प्रकीर्ण

15. **आरक्षण**। – सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

17. परिशिष्ट–1 में उल्लिखित इस सेवा के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस सेवा में स्वतः सम्मिलित समझे जायेंगे।

18. **निर्वचन**। – यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई संशय हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

19. **कठिनाई का निराकरण। –** यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।

20. **निरसन एवं व्यावृति ।–**(1)इस सेवा के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत नियमावली और समय–समय पर निर्गत सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से निरसित समझे जायेंगे।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियमावली संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–1

{ नियम 2(ज), 4, 12,17 द्रष्टव्य }

बिहार दंत चिकित्सक सेवा का पदसोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1.	मूल कोटि	दंत चिकित सक	
2.	प्रथम सोपान	कनीय स्टाफ सर्जन (दंत)	
3.	द्वितीय सोपान	स्टाफ सर्जन (दंत)	
4.	तृतीय सोपान	वरीय स्टाफ सर्जन (दंत)	
5.	चतुर्थ सोपान	संयुक्त निदेशक (दंत सेवाएँ)	

टिप्पणी – उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

14/10/14

(सुरेश कुमार शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/एम–44/08– 1069(2) पटना, दिनांक– 14.10.14

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/10/14

सरकार के संयुक्त सचिव।